

अन्तिम रूप से राशि निकालने के लिए आवेदन-पत्र का फार्म
FORM OF APPLICATION FOR FINAL WITHDRAWAL
(सामान्य भविष्य निधि से ना वापिस ना न रिफण्डेबल)
(NON-REFUNDABLE FROM GENERAL PROVIDENT FUND)

1. क. अंशदाता का नाम
Name of the subscriber.....
- ख. सामान्य भविष्य निधि खाता सं.
G.P.F. account No.....
2. पदनाम और अनुभाग
Designation & section.....
3. वेतन
Pay.....
4. नियुक्ति की तिथि
Date of appointment.....
5. आवेदन की तिथि को अंशदाता के खाते में जमा शेष राशि
Balance at Credit of the subscriber on the date of application.....
6. निधि में मासिक अंशदान
Monthly contribution to fund.....
7. अन्तिम रूप से राशि निकालने के लिए मांगी गई राशि
Amount of final withdrawal applied for.....
8. उद्देश्य, जिसके लिए आवेदन किया गया है
Purpose for which the withdrawal is required.....
9. पिछली बार अन्तिम निकासी (विद्यमान) की राशि, यदि कोई हो और निष्कर्ष का विवरण व तिथि भी दें।
Amount of final withdrawal last taken, if any, state particulars of the withdrawals of date on which taken.....
10. अंशदाता की आर्थिक परिस्थिति का पूर्ण विवरण, जो अंशदाता निकासी के आवेदन-पत्र को न्यायजनक सिद्ध करता हो।
Full particulars of the pecuniary circumstances of the subscriber justifying the application for the withdrawal.....
11. आवेदक द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र
Certificate to be furnished by applicant.
- क. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदन की तिथि को सेवा के २० वर्ष पूरे कर लिए हैं।
It is certified that I have completed 20 years service on the date of application.
- ख. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने जिस उद्देश्य के लिए अब अन्तिम निकासी के लिए आवेदन किया है, मैंने उस उद्देश्य के लिए पहले कोई राशि नहीं निकलवायी है।
It is certified that I have not taken any final withdrawal for the purpose for which the same is applied for now.
- ग. यह प्रमाणित किया जाता है कि निकालने के लिए आवेदित राशि मेरे क्रेडिट में शेष राशि के ३/४ से अधिक नहीं है।
It is certified that the amount of withdrawal applied for, does not exceed 3/4 of the balance at my credit.

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of the applicant

बजट एवं लेखा अनुभाग द्वारा रिपोर्ट
REPORT BY THE BUDGET & ACCOUNTS SECTION

आवेदक का अंशदान
Applicant's subscription

अंशदाता ने सेवा के १५ वर्ष पूरे कर लिए हैं । सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय-सेवा) नियम, १९६० के नियम.
के अंतर्गत सामान्य/विशेष मामले के रूप में.....
रु. की आंशिक अन्तिम निकासी (अप्रतिदेय अग्रिम) स्वीकार्य है ।
The subscriber has completed 15 years of service. A part final withdrawal (Non refundable Advance) of
Rs.....is admissible as a normal/special case
under Rule.....of General Provident Fund (Central Services) Rule, 1960.

अंशदाता को राशि निकलवाने की तिथि केमाह की अवधि के अन्दर
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए ।
The subscriber may be asked to furnish the utilisation certificate within period of.....
months from the date of drawal.

भविष्य निधि लिपिक
Provident Fund Clerk.

लेखा अधिकारी
Accounts Officer

अधीक्षक
Supdt.

मुख्य लेखाधिकारी की सिफारिश
Recommendation of the Chief Accounts Officer.

मुख्य लेखाधिकारी
Chief Accounts Officer.

संस्वीकृति प्राधिकारी के आदेश
ORDER OF THE SANCTION AUTHORITY.

सामान्य/विशेष मामले के रूप में यथा प्रस्तावित संस्वीकृत/असंस्वीकृत ।
Sanctioned as proposed as normal/special case/not sanction.